स्वत्व वाद संख्या 20/2021
सीआईएस 20/2021
दिनांक 08.05.2024

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 08.05.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला प्रतिवादी द्वारा अधिवक्ता आयुक्त की बहाली के संबंध में दिनांक 22.03.2024 को दिये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

मामले में प्रतिवादी के आवेदन का अवलोकन किया । वादी के आवेदन के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी की तरफ से खेसरा 981 बकैद खाता 06/16 की एराजी रकवा 7 धुर के अलावा अन्य खेसरा की एराजी पर सयतकरारी कायम किया है यह कि उपरोक्त खेसरा पर रिहाएसी मकान था जिसको वादी ने अन्य प्रतिवादी के बेमेल से तोड़ दिया है यह कि अब उस पर कोई निर्माण नहीं है यह कि वादी तथा अन्य प्रतिवादी उपरोक्त 7 धुर एराजी हड़पने के लिए निर्माण कार्य करने पर उतारू है यह कि इसके निश्वत प्रतिवेदन आना जरूरी है अतः अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर इन बिंदुओं पर कि तकरारी एराजी खेसरा 1981 की एराजी खाली है या उस पर कोई निर्माण है यदि निर्माण है तो किस तरह का निर्माण है और उसकी लम्बाई चौड़ाई कितनी है यह कि उपरोक्त तकरारी एराजी पर कौन कौन सा सामाग्री जमा है और तकरारी जमीन की भौतिक स्वरूप क्या है इस बिंदु पर प्रतिवेदन मांगने की कृपा की जाए।

वादी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि मामला विलंब कारित करने के उद्देश्य से है अतः आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष को सुना वाद का अवलोकन किया । तत्पश्चात न्यायालय पाती है कि प्रतिवादी की तरफ से एक अस्थायी ब्यादेश का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए अधिवक्ता आयुक्त का नियुक्त होना आवश्यक है अतः न्यायालय वादी के आवेदन को स्वीकृत करती है तथा श्री पन्नालाल चौरसिया को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करती है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि 2000रु खर्चा की रकम जमा करें तत्पश्चात अधिवक्ता आयुक्त रिट निर्गत होने के 15 दिन के भीतर **इन बिंदुओं पर कि तकरारी एराजी खेसरा 1981 की एराजी खाली है या उस पर कोई निर्माण है यदि निर्माण है तो किस तरह का निर्माण है और उसकी लम्बाई चौड़ाई कितनी है यह कि उपरोक्त तकरारी एराजी पर कौन कौन सा सामाग्री जमा है और तकरारी जमीन की भौतिक स्वरूप क्या है पर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें।** इस प्रकार से प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक वास्ते ....अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।